न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़ियां R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2022/281

प्रकरण संख्या 147/22

अनवान

1. गमेरा रावत पिता श्री उदा जी रावत निवासी माण्डकला तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर राज0।

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जी कानोड, जिला उदयपुर राज0।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

—: :निर्णयः :— दिनांक :—19.09.2022

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम जेतपुरा, तहसील कानोड में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं अधिपत्य की कृषि आराजी संख्या 345 रकबा 0.2500 हैक्टेयर भूमि स्थित है, जो वर्तमान राजस्व अभिलेखो में प्रार्थी के नाम दर्ज है। वर्णित आराजी में प्रार्थी की जाति मीणा गलत दर्ज है, जब कि प्रार्थी मीणा जाति का नहीं होकर रावत है ओर प्रार्थी को रावत जाति के नाम से ही जाना एवं पहचाना जाता है एवं प्रार्थी के पहचान संबंधित दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि में सभी स्थानों पर प्रार्थी की जाति रावत अंकित है। यह कि ग्राम माण्डकला, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर की खाता संख्या 46 पर आराजी संख्या 1161, 1164 से 1167 किता 5 रकबा 0.6500 हैक्टेयर, खाता संख्या 202 पर आराजी संख्या 1160, 1229, 1230 किता 3 रकबा 1.7300 हैक्टेयर भूमि में 1/4 हिस्सा, खाता संख्या 206 पर आराजी संख्या 674/498 किता 1 रकबा 3 बीघा भूमि में 1/4 हिस्सा है, उक्त भूमि के लिये भी समस्त राजस्व अभिलेखो में प्रार्थी की जाति रावत अंकित है।

2. यह कि वर्णित आराजी में प्रार्थी की जाति मीणा गलत अंकित हो गयी है और प्रार्थी रावत जाति का होकर राजस्व अभिलेखो में मीणा जाति के स्थान पर रावत जाति अंकित कराना चाहता है। अतः प्रार्थी की जाति मीणा के स्थान पर रावत किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:58:13 IST
Reason: SelfAttested

3. पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर विपक्षी के जरिये नोटिस जारी किया गया। प्रकरण में तहसीलदार कानोड द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कि गई जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि :—

i. यह कि ग्राम जेतपुरा की आराजी नम्बर 345 रकबा 0.2500 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार गमेरा पिता उदा मीणा सा. मांडकला के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिसमें प्रार्थी की जाति मीणा दर्ज है।

ii. यह कि उक्त भूमि प्रार्थी ने भू प्रबंधन के पूर्व आराजी नं. 167/4, 178 किता 2 रकबा 06 बीघा भूमि में से 1/2 हिस्सा लालू पिता तेजा मीणा से क्रय की थी जो बाद में विभाजन से प्रार्थी के नाम आराजी नं. 167/5, 178/1 किता 2 रकबा 1–03 बीघा 0.2500 हैक्टेयर दर्ज रिकार्ड हुई।

iii. यह कि प्रार्थी मूल रूप से ग्राम मांडकला तहसील भीण्डर का रहने वाला है जहां के नाम खाता संख्या 46 पर आराजी नं. 1161, 1164 से 1167 किता 5 रकबा हैक्टेयर, खाता संख्या 202 पर आराजी नं. 1160, 1229, 1230 किता 3 रकबा हैक्टेयर में 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज रिकार्ड है जिसमें प्रार्थी की जाति रावत है।

iv. यह कि प्रार्थी के संलग्न दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड, में जाति रावत दर्ज इनको ग्राम तथा सामाजिक स्तर पर भी रावत जाति से जाना जाता है। इनके स रिश्ते रावत जाति में ही होकर रिश्तेदार भी रावत जाति के ही है। मौतबिरानों व अनुसार यदि प्रार्थी की जाति मीणा के बजाय रावत दर्ज की जाये तो किसी क प्रकार की कोई आपत्ति नहीं जताई।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रकरण में अधिवक्ता की बहस को सुना। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित त दोहराया व प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थी के कथनानुस जेतपुरा की आराजी नम्बर 345 रकबा 0.2500 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी की जाति मीण अंकित है जिसे संशोधित कर मीणा के बजाय रावत कराये जाने का निवेदन किया। उ तहसीलदार कानोड की रिपोर्ट के अध्ययन से यह पाया की प्रार्थी के आराजी नम्बर भू–प्रबंधन के पुर्व आराजी नम्बर 167/4, 178 किता 2 रकबा 2–06 बीघा भूमि में हिस्सा लालु पिता तेजा मीणा से क्रय की थी जो सहमति विभाजन से प्रार्थी के आरा 167/5, 178/1 किता 2 रकबा 1–03 बीघा यानि 0.2500 हैक्टेयर दर्ज रिकार्ड हुई। तहसीलदार कानोड की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि उक्त प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी द्वारा मीणा रूप में क्रय की थी। अब उसी आराजी के साथी अपनी जाति मीणा के बजाय राव कराना चाहता है। प्रार्थी द्वारा पुर्व में प्रार्थना आराजीयात को लालु पिता तेजा जाति मीणा के रूप में ही क्रय की थी जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी की पुर्व में जाति मीण प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो की जाति किस आधार पर रावत से मीणा हुई। अतः प्रार्थी यह सिद्ध करने में असफल रहा की पुर्व में जाति रावत थी जो गलत अंकन से मीणा हो गई। अतः प्रार्थी का प्र अस्वीकार योग्य पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2022.10.17 12:58:13 IST
Reason: SelfAttested

GCMS संख्या 2022/281
प्रकरण संख्या 147/22
गमेरा बनाम राज्य सरकार

—: :आदेश: :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 16:58:13 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय खुले ईजलास आज दिनांक 19.09.2022 को सुनाया गया।